न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 314/2014 निर्णय दिनांक :– 24.8.20

उनवान

1. सोनी पत्नी बेवा स्व0 लोडच्या जाति मीणा निवासी ग्रम श्री संपत पुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. नाथू पुत्र भौरिया
2. लल्लू पुत्र भौरिया
3. गोविन्दा पुत्र नानगा
4. कल्ली बेवा रामकुंवार
5. गोरधन पुत्र रामकंवार
6. कल्या पुत्र ग्यारसा
7. भौरिया पुत्र ग्यारसा
8. विश्राम पुत्र रामकंवार
9. राजेश पुत्र रामकंवार

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

10. खैरातीलाल पुत्र रामकंवार

11. रंगलाल पुत्र कालूराम

12. बदाम देवी पत्नी नाथूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम श्रीसंपतपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

13. रारकार जरिये तहसीलदार जी तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ।

<u>दावा बाबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा त/धा 88, 188</u>

<u>राज0 टेनेन्सी एक्ट 1955</u>

वादनी ने वाद निम्न प्रकार पेश किया कि वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 में पक्षकारों का सजरा खानदान वर्णित हैं। वादनी स्व0 लोडच्या की बेवा है। जो ग्रामीण परिवेश की है, अशिक्षित औरतजात महिला है। काश्त करके अपना जीवन यापन करती है। वादग्रस्त आराजी खाता सं. 15 खसरा नंबर 8/440 रकवा 0.38 हैं, 9 रकबा 0.72 है., 36 रकबा 0.07 है., 37 रकबा 0.14 है., 38/439 रकबा 0. 07 है0 39/436 रकबा 0.06 है., 70/441 रकबा 0.04 है. कुल किता 7 कुल रकबा 1.48 है. एंव खाता सं. 16 खसरा नंबर 18 रकबा 0.73 है, 183 रकबा 0.06 है. 184 रकबा 0.09 है., 219 रकबा 0.03 है, 259 रकबा 0.09 है., 260 रकबा 0.06 है0 268 रकबा 0.11

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

है, 301 रकबा 0.07 है, 302 रकबा 0.21 है, 306 रकबा 0.18 है, 318 रकबा 0.13 है. कुल किता 11 कुल रकबा 1.76 है. एंव खाता सं. 17 खसरा नंबर 273 रकबा 0.11 है. कुल किता 1 कुल रकबा 0. 11 है. एंव खाता सं. 35 खसरा नंबर 178 रकबा 0.15 है., 185 रकबा 0.08 है, 186/420 रकबा 0.03 है, 288 रकबा 0.13 है., 289 /399 रकबा 0.06 है, 330/421 रकबा 0.03 है. कुल किता 6 कुल रकबा 0.48 है. वाके ग्राम श्रीसंपतपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है। भूमि खाता सं. 15 में हिस्सा 1/4 एंव खाता सं. 16 में हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 एंव खाता सं. 17 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के मुझ वादनी के पति लोडच्या पुत्र भौरिया रिकोर्डड काबिज सह खातेदार, काश्तकार थें। मेरे पति लोडच्या निर्वसीयती फौत हो गये। भूमि खाता सं. 15 में हिस्सा 1/4 एंव खाता सं. 16 में हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 एंव खाता सं. 17 में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से एंव भूमि खाता सं. 35 में 1/2 हिस्से की खातेदारी मुझ वादनी की सास अर्थात मेरे स्व पति लोडच्या की माता गंगा बेवा भौरीलाल के नाम राजस्व रिकोर्ड में अंकित है । गंगा देवी का भी स्वर्गवास हो गया है। जिसका विरासत का नामान्तकरण नही भरा है। गंगा देवी के तीन पुत्र प्रतिवादी सं. 1 नाथू, प्रतिवादी सं. 2 लल्लू एंव वादनी के पति स्व. लोडच्यां है।जो गंगा देवी के एकमात्र वारिस एंव उत्तराधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सडक स्व. लोडच्यां पुत्र भौरया अपने पीछे अपनी पत्नी बेवा वादनी सोनी को छोडकर गये है। लोडच्या पुत्र भौरया के स्वर्गवास के पश्चात विरासत में उनके हिस्से की भूमि उनकी पत्नी वादनी बेवा सोनी के नाम लगनी चाहिये थी। क्योकि वादनी स्व. लोडच्या पुत्र भौरया की वारिस एंव उत्तराधिकारी एंव विधिक प्रतिनिधि है। स्व. लोडच्या जी के स्वर्गवास के पश्चात स्वतः ही वादनी प्रतिवादी सं. 1 एंव 2 के साथ सहखातेदार, काश्तकार हो गयी। वादनी स्व. लोडच्या जी की पत्नी होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एंव परंपरागत विधि के तहत जायज वारिस है। लेकिन प्रतिवादी सं, 1 एंव 2 ने राज कर्मचारियो से साज करके वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण सं. 39 दिंनाक 20.7.2005 अपने नाम खुलवा लिया ! जो अवैधानिक है एंव कानून की मनसा के विपरीत है। जिसका आभास वादनी को नहीं हो सका। ऐसा नामान्तकरण वादनी के. वैधानिक अधिकारो के विरुद्ध प्रारंभतया प्रभावशून्य है। जिससे वादीनी के वैधानिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता है। न ऐसे नामान्तकरण से वादनी के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं, 1 एंव 2 को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। जबकि वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण वादनी के नाम खोला जाना चाहिये था। चूंकि गंगा बेवा भौरया के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 एंव 2 उनके हिस्से की भी संपूर्ण भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अपने नाम लगाने पर आमदा है। जिसका उनको कोई कानूनी अधिकारी नही है। मैं वादनी गंगा बेवा भौरया के मृत पुत्र लोडच्या की पत्नी हूं एंव गंगा बेवा भौरया के हिस्से की भूमि में मुझ वादनी का 1/3 हिस्सा बनता है। वादनी स्व. गंगा के पुत्र स्व. लोडच्या की बेवा होने के कारण गंगा बेवा भौरया के स्वर्गवास के पश्चात वादनी स्वतः प्रतिवादी सं. 1 एंव 2 के साथ खातेदार, काश्तकार हो गयी। वादग्रस्त आराजी पर वादनी ,प्रतिवादी सं. 1 एंव 2 के साथ अपने हिस्से की भूमि पर बाहमी सहमति से बंटवारा कर काबिज, काश्त चली आ रही है तथा पक्षकार शामलात में लगान अदा करते आ रहे है। प्रतिवादी सं. 4 एंव 2 ने गैर कानूनी तरीके से राज कर्मचारियो से साज की करके लोडच्या जी के हिस्से की संपूर्ण वादग्रस्त आराजी को अपने नाम लगा लिया जो वादनी के वैधानिक अधिकारो के विरूद्ध प्रारंभतया प्रभावशून्य है। जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही था। वादनी के पति लोडच्या पुत्र भौरया के स्वर्गवास के पश्चात वादनी के नाम वादग्रस्त आराजी लगनी चाहिये थी। जो वाइग्रस्त भूमि वादनी के पति की संपति है । मैं वादनी गंगा बेवा भौरया के मृत पुत्र लोडच्या की बेवा हूं एंव गंगा बेवा भौरया के स्वर्गवास के पश्चात उनके मृतक पुत्र लोडच्या की बेवा होने के कारण उनकी भूमि में मेरा 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 1 एंव 2 के साथ मैं वादनी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

काश्त चली आ रही हूं। दिंनाक 31.08.2014 को बाकी अपनी भूमि की सार संभाल करने गयी हुयी थे तो प्रतिवादी सं. 1 एंव 2 कुछ अज्ञात व्यक्तियों को साथ लेकर जमीन बेचने के इरादे से वादग्रस्त भूमि पर आये। भूमि बेचान करने की बातचीत करने लगें तो वादनी ने प्रतिवादीगण से कहा कि इस जमीन में तो मेरा भी हिस्सा है। तुम लोग जमीन का बेचान नहीं कर सकते हों तो प्रतिवादी सं. 1 एंव 2 ने कहा कि ये जमीन तो हमारें नाम है, हम तो इसे बेचान करके रहेंगे। हम हरे पेडों को काटेंगे, खातेवारी भूमि को आबादी में तब्दील कर देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिंगाड सकती हों इस. पर वादीगण गांव के मौजीज व्यक्तियों ने प्रतिवादी को व्यक्तियों को बुलाकर लाये तब समझाया कि वादग्रस्त आराजी में गांव के मौजीज तुम्हारे साथ वादनी का भी बराबर हिस्सा है। तुम इस जमीन का का बेचान नही कर सकते हो। पर जाते – जाते ऐलानिया धमकी दे गये कि हम तो भूमि का बेचान करेंगें कहने लगे कि यह जमीन तो हमारे नाम है। तहसील कार्यालय से वादनी ने राजस्व रिकार्ड की जानकारी की तो उसमे पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ने मुझ वादनी के पति लोडच्या के हिस्से की संपूर्ण भूमि अपने नाम लगा ली। जब वादनी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कहा कि मेरी जमीन मेरे नाम लगाओ तो प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया कि हम तुम्हारे नाम जमीन नही लगायेंगे। बल्कि जबरन तुम्हे तुम्हारे

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हिस्से की जमीन से बेदखल कर देगे। हमारा कोई कुछ भी नही बिगाड सकता है। तुम चाहे जो करो। वादनी के लिये ऐसी स्थिति में आवश्यक हो गया है कि वह मान्य न्यायालय मे दावा पेश कर अपने हिस्से की खातेदारी घोषण करवाकर, जमीन को अपने नाम लगवाये तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वे वादीगण के हिस्से की जमीन में किसी प्रकार की मजाहमत एवं दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न अन्य किसी से करावे। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। जिनसे किसी प्रकार का रिलीफ नही चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 13 सरकार भूमिधारी है, जो राजस्व रिकोर्ड का रख रखाव रखते हैं। इसलिये उनको दावे में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा वादनी के हिस्से की भूमि अपने नाम लगाने तथा , मेरे नाम वादग्रस्त आराजी लगाने से इंकार करने एंव दिनाक 31.8.2014 को भूमि बेचने के असफल प्रयास करने व उसके पश्चात निरन्तर प्रयास करने के कारण वाद हेतु उत्पन्न हुआ। दावा घोषणा का है जिसके लिये कोई मयाद तय नही है। अतः दावा अंदर मयाद पेश है। वादग्रस्त भूमि मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण इस वाद को सुनने का अधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है। दावा उचित कोर्ट फीस पर राज. टेनेन्सी एक्ट के तीसरे शेड्यूल की एन्ट्री सं. ३,६ तथा २३ सी के प्रावधानो के अनुसार पेश है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादनी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम श्रीसंपतपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता सं. 15 खसरा नंबर 8/440, 9, 36, 37, 38/439, 39/436, 70/441 किता 7 कुल रकबा 1.48 है. में से प्रतिवादी सं. 1 एंव 2 एंव गंगा बेवा भौरया का नाम हजफ कर वादनी को 1/3 हिस्से का एंव प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्से एंव प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा दर हिस्सा 127/148 का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावें एंव खाता सं. 16 खसरा नंबर 18, 183, 184, 219, 259, 260, 268, 301, 302, 306, 318 किता 11 कुल रकबा 1.76 है. में प्रतिवादी सं. 1 एंव 2 एंव गंगा बेवा भौरया का नाम हजफ कर वादनी को 1/3 हिस्से का एंव प्रतिवादी सं. को 1/3 हिस्से एंव प्रतिवादी सं, 2 को 1/3 हिस्सा दर हिस्सा 1/3 का खातेदार,काश्तकार घोषित किया जावें एंव खाता सं. 14 खसरा नंबर 273 रकबा 0.11 है. में प्रतिवादी सं. 1, 2 एवं गंगा बेवा भौरया का नाम हजफ कर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादनी को 1/3 हिस्से का , प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावें एंव खाता सं. 35 खसरा नंबर 178, 185, 186/420, 288, 289/399, 330/421 कुल किता 6 कुल रकबा 0.48 है. में गंगा देवी पत्नी भौरीलाल का नाम हजफ कर

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादनी को 1/3 हिस्से का एंव प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्से एंव प्रतिवादी सं, 2 को 1/3 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 का खातेदार, काश्तकार घोषित फरमाया जावें एंव इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि वे वादनी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वंय करें न अन्य किसी से करावें।

दावा वादीनी के वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया तो प्रतिवादीगण की तरफ से वकील हाजीर आया व प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से दावे के जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार पेश किया गया जो इस प्रकार पेश किया गया कि वाद पत्र के मंद नं. 01 में वर्णित सजरा खानदान गलत होने से अस्वीकार है उक्त में लोडच्या पत्नि सोनी जो दर्शाया गया है गलत होने से अस्वीकार है। सोनी प्रतिवादी सं. 02 की. पत्नि है। तथा यह कहना भी गलत है कि वादिया बेवा है बल्कि वादिया ने अपने पति लोडच्या की मृत्यु के बाद ही प्रतिवादी. सं. 02 लल्लू से शादी कर ली थी तथा उसके साथ ही जीवनयापन कर रही है। अब अर्थात सोनी लोडच्या की पत्नि नहीं रही है। वाद पत्र के मद नं. 02 में वर्णित आराजी होना स्वीकार है। वाद पत्र के मद नं. 03 में वर्णित भूमि होना स्वीकार है तथा न उक्त में लोडव्या का हिस्सा भी होना स्वीकार है लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

लोडच्या के कोई जायन्दा वारिस नहीं होने से प्रतिवादीं सं. 01 व 02 लोडच्या के सगे भाई है जिनके नाम उक्त जमीन का नामान्तकरण खुला क्योकि वादिया तो प्रतिवादी सं. 02 लल्लू से शादी कर चुकी थी तथा गंगा देवी का स्वर्गवास होना स्वीकार है। वाद पत्र के मद नं. 04 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है लोडच्या की मृत्यु के बाद वादिया के नाम उसकी जमीन लगनी चाहिये थी लेकिन वादिया सोनी ने प्रतिवादी सं. 02 लल्लू से शादी कर ली तथा उसके साथ ही पति पत्नि के रूप में जीवनयापन कर रही है तथा जो नामान्तकरण प्रंतिवादी सं. 01 व 02 के नाम खुला वह बिल्कुल विधि स्वरूप तरीके से खुला तथा वादिया का यह कहना गलत है कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादिया जायज वारिस है। वादिया व प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते है जिन पर हिन्दू विधि लागू नहीं होती उन पर पुराना हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू होता है तथा वादिया जो विधवा होने पर पुनः विवाह प्रतिवादी सं. 02 के साथ कर लिया तो उसे पूर्व पति की संपत्ति में कोई अधिकार हासिल नहीं होता है तथा वादिया का यह कहना गलत है कि वह वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। वाद पत्र के मद नं. 05 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है जब वादिया पुनः विवाह कर चुकी तो उसे अपने पूर्व पति की संपत्ति उसे कोई अधिकार हासिल नहीं होता है। वाद पत्र के मद

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नं. 06 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादिया प्रतिवादीगण के घर में ही पुनः विवाह किया है वादिया को राजस्व रिकार्ड की जानकारीं शुरू से ही थी केवल आधारो पर अपने वर्तमान पति प्रतिवादी सं. 02 लल्लू से र्दुभीसंधि कर मिथ्या आधारो पर उक्त मुकदमा पेश किया है। प्रतिवादी है सं. 01 रिकोर्डेड काबिज काश्तेदार है। जिसको अपनी जमीन को बेचान करने का पूरा–पूरा अधिकार है। वाद पत्र के मद नं. 07 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादिया को घोषणा का दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है तथा ना ही वह स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने की अधिकारी है। वाद पत्र के मद नं. 08 जवाब के मोहताज नहीं है। वाद पत्र के मद नं. 09 में वादिया को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। वाद पत्र के मद नं. 11 व 12 जवाब के मोहताज नहीं है।

अतिरिक्त कथन

वादिया मीणा जाति की है जिनके लिए हिन्दु उत्तराधिकार लागू नहीं होता है। इसलिए वादिया का वाद दावा पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा वादिया विधवा होने के बाद पुनः शादी प्रतिवादी सं. 02 के साथ कर चुकी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

है कानूनन एक विधवा के द्वारा अपना पुनः विवाह कर लेने पर पूर्व पति की संपत्ति में कोई ही अधिकार हासिल नही होता है इस प्रकार वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 कल्ली का देहान्त मुकदमा दायरी के पूर्व ही हो चुका था जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धानत है कि सुट अगेस्ट डेड प्रश्न इज नोट मेंटेनबल इस आधार पर भी वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कि विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि नो पजेशन नो डिक्लेरशन वादिया का कही पर भी कोई कब्जा नही है इसलिये भी दावा खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादिया का वाद पत्र को भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

दावे का जवाब दावा पेश होने पर दावा जवाब दाव के आधार पर निम्नांकित तनकीलयात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादिया के स्व0 पति लोहंडच्या की है, जिनकी वादिया वारिस एवं विधिक प्रतिरोधी है ?

––वादिया––

2. आया वादिया स्व0 गंगा देवी के पुत्र स्व0. लोहडच्यां की पत्नी है, इसलिये वादिया भी प्रतिवादी संख्या 1 नाथू व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

संख्या 2 लल्लू के साथ स्व0 गंगा देवी की वारिस एवं उत्तराधिकारी है ?

——वादिया——

3. आया लोहडच्या की सम्पत्ति का नामान्तरकरण शुन्य व निष्प्रभावी है ?

——प्रतिवादीगण——

4. आया वादिया ने पुर्नविवाह कर लिया, जिससे उसका वादग्रस्त आराजी में हित नही है ?

——प्रतिवादीगण——

5. आया अनुसूचित जनजाति की महिला होने से वादिया पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है ?

———प्रतिवादीगण———

6. आया वादिया ने प्रतिवादी संख्या 2 से शादी कर रंखी है, उससे सुरभिसन्धि कर उक्त वाद पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है ?

——प्रतिवादीगण——

7. अनुतोष ?

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तनकीयात कायम किये जाने पर वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य ली गयी तो वादी ने अपने पक्ष में वादनी स्वयं सोनी देवी विश्राम से शहादत ली गयी प्रतिवादी गवाही में नाथू, में गवाही ली गयी आगे शहादत नही कराने पर शहादत वादी बन्द की जाकर बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि मुझ वादनी के पति लोडच्या पुत्र भौरिया रिकार्डेड सह खातेदार काश्तकार थे मेरे पति लोडच्या के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण मेरे नाम नही भरा गया, गंगादेवी के तीन पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 नाथू प्रतिवादी संख्या 2 लल्लू एवं वादनी के पति लोडच्या है जो गंगादेवी के एक मात्र वारिस है। लोडच्या पुत्र भौरिया अपने पीछे अपनी पत्नि बेवा वादनी सोनी छोडकर गये है, लोडच्या के स्वर्गवास के पश्चात विरासत में उनके हिस्से की भूमि उनकी पत्नि वादनी बेवा सोनी के नाम लगानी चाहिये थी क्योंकि वादनी लोडच्या की वारिस एवं उत्तराधिकारी है वादनी स्व0 लोडच्या जी की पत्नि होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं परंपरागत विधि के तहत जायज वारिस एवं है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जो नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 20.07.2005 अपने नाम खुलवा लिया वो अवैधानिक एवं कानून की मनसा के विपरीत है। गंगा बेवा भौरिया के स्वर्गवास के पश्चात उनके मृतक पुत्र लोडच्या की बेवा होने के कारण उनकी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जय

भूमि में मेरा 1/3 हिस्सा है जिस पर वादनी काबिज है अतः खातेदार घोषित फरमाया जावे। आरआरटी 2017 पे 1338 रामचंद्र बनाम कैलाशी देवी की नजीर पेश की। जवाब बहस में वकील प्रतिवादी ने वादी वकील की बहस का खंडन करते हुये जवाब दावे का समर्थन करते कथन किया कि सजरा खानदान गलत दर्शाया है लोडच्या पत्नि सोनी दर्शाया गया है गलत है, सोनी प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नि है यह कि वादिया ने अपने पति लोडच्या की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 2 से शादी कर ली व उसके साथ जीवन यापन कर रही है, अब सोनी लोडच्या की पत्नि की पत्नि नही है, लोडच्या के कोई जायन्दा वारिस नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लोडच्याके सगे भाई है जिसके नाम उक्त जमीन का नामान्तकरण खुला क्योंकि वादिया तो प्रतिवादी संख्या 2 लल्लू से शादी कर चुकी थी। वादिया मीणा जाति की है जिनके लिये हिन्दु उत्तराधिकार लागू नही होता है। वादिया विधवा होने के बाद पुनः शादी प्रतिवादी संख्या 2 लल्लू के साथ कर चुकी है कानूनन एक विधवा के द्वारा पुनः विवाह कर लेने से पूर्व पति की संपत्ति में कोई अधिकार हासिल नही होता अतः दावा खारिज फरमाया जावे। दावे के समर्थन में वादी व प्रतिवादी की तरफ से निम्नानुसार दस्तावेज पेश किये गये जो वादी की तरफ से एक्स पी 1, ग्राम सम्पतपुरा की जमाबंदी सम्वत 2060–63, 2068–71 व प्रतिवादी के द्वारा एक्स डी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

1 निर्वाचन नामावली भाग संख्या 225 सम्पतपुरा, एक्स डी–2 जांच रिपोर्ट तहसीलदार चाकसू, एक्स डी – 3, राशन कार्ड विवरण के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व दावा जबवा दावा गवाहो के बयानाता एवं प्रस्तुत दस्तावेजात परीक्षण किया जाकर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

1. आया वादग्रस्त आराजी वादिया के स्व0 पति लोहंडच्या की है, जिनकी वादिया वारिस एवं विधिक प्रतिरोधी है :– इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर है जो वाद पत्र के मद नंबर 3 में वर्णित भूमि में लोडच्या का हिस्सा होना स्वीकार है लेकिन लोडच्या के कोई जायन्दा वारिस नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लोडच्या के सगे भाई नाम नामान्तकरण खुला, क्योंकि वादिया तो लोडच्या की मृत्यु के बाद वादिया के नाम उसकी जमीन लगनी चाहिये थी लेकिन वादिया ने प्रतिवादी संख्या 2 लल्लू से शादी कर ली व उसके साथ पति पत्नि के रूप में जीवन यापन कर रही है, वादिया जो विधवा होने पर पुनः विवाह प्रतिवादी संख्या 2 से कर लिया तो उसे पूर्व पति तो उसे पूर्व पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार हासिल नही होता। वादिया प्रतिवादी के घर में ही पुनः विवाह किया है जिससे वादिया को राजस्व रिकार्ड की पूर्व से जानकारी थी। वादिया मीणा जाति की है जिनके लिये हिन्दु उत्तराधिकार लागू नही होता। वादिया विधवा होने के बाद पुनः

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

शादी प्रतिवादी संख्या 2 के साथ कर चुकी है जो एक्स डी 1 मतदता सूची 2017 के कम संख्या 640 में सोनी देवी मीणा पति लल्लूलाल अंकित है एक्स डी 2 तहसीलदार की मौका रिपोर्ट 10.08.2016 व एक्स डी 3 राशन कार्ड विवरण से भली प्रकार से साबित होता है कि सोनी देवी प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नि है व इसके चार पुत्र है इस प्रकार विवेचन अनुसार तनकी नम्बर 1 वादिया साबित नही कर पाने से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया वादिया स्व0 गंगा देवी के पुत्र स्व0. लोहडच्यां की पत्नी है, इसलिये वादिया भी प्रतिवादी संख्या 1 नाथू व प्रतिवादी संख्या 2 लल्लू के साथ स्व0 गंगा देवी की वारिस एवं उत्तराधिकारी है :– इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर है जो लोडच्या की मृत्यू के बाद वादिया के नाम उसकी जमीन लगनी चाहिये थी लेकिन वादिया सोनी सोनी ने प्रतिवादी संख्या 2 लल्लू से शादी करली तथा उसके साथ पत्नि के रूप में जीवन यापन कर रही है जो एक्स डी 1, एक्स डी 2 तहसीलदार मौका रिपोर्ट एक्स डी 3 राशन कार्ड विवरण से भली प्रकार से साबित है कि सोनी देवी प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नि है। इस प्रकार वादिया विधवा होने के बाद पुनः शादी कर चुकी कानूनन एक विधवा के द्वारा पुनः विवाह कर लेने पर पूर्व पति की सम्पति में कोई अधिकार हासिल

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नही होता है। इस प्रकार तनकी नम्बर 2 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

3. आया लोहड्च्या की सम्पत्ति का नामान्तरकरण शुन्य व निष्प्रभावी है :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है जो लोडच्या के कोई जायन्दा वारिस नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लोडच्या के सगे भाई है जिनके नाम जमीन का नामान्तकरण खुला क्योंकि लोडच्या की मृत्यू के बाद वादिया सोनी ने प्रतिवादी संख्या 2 लल्लू से शादी कर ली व उसके साथ पति पत्नि के रूप में जीवन यापन कर रही है जो नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खुला वह बिलकुल विधि स्वरूप तरीके से खुला। वादिया विधवा होने पर पुनः विवाह लल्लूलाल के साथ कर लिया तो उसे पूर्व पति की संपत्ति में कोई अधिकार हासिल नही होता। इस प्रकार तनकी नम्बर 3 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

4. आया वादिया ने पुर्नविवाह कर लिया, जिससे उसका वादग्रस्त आराजी में हित नही है :– आया वादिया ने पूर्नविवाह कर लिया जिसका वादग्रस्त आराजी मे हित निहित नही है इस तनकी को सबित करने का भार प्रतिवादी पर है जो तनकी नम्बर 1 से 3 प्रतिवादी के पक्ष में तय किये जाने से तनकी नम्बर 4 भी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

5. आया अनुसूचित जनजाति की महिला होने से वादिया पर हिन्दू उत्तराधिकार अंधिनियम लागू नही होता है :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है जो वादिया व प्रतिवादीगण अनुसूचित जन जाति से संबंध रखते है जिन पर हिन्दु विधि लागू नही होती है उन पर पुराना हिन्दु अधिकारी अधिनियम लागू होता है वादिया जो विधवा होने पर पुनः विवाह प्रतिवादी संख्या 2 लल्लू लाल के साथ एक्स डी 1 मतदाता सूची एक्स डी 2 तहसीलदार की रिपोर्ट एक्स डी 3 परिवार राशन कार्ड के अनुसार भली भांति साबित होने से तनकी नंबर 5 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती हैं।

6. आया वादिया ने प्रतिवादी संख्या 2 से शादी कर रंखी है, उससे सुरभिसन्धि कर उक्त वाद पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है – इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर जो तनकी नम्बर 1 से 5 प्रतिवादी के पक्ष में तय किये जाने व वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के साथ शादी कर लेना भली प्रकार साबि होने से वादिया को राजस्व की जानकारी शुरू से होने पर भी अपने वर्तमान पति से प्रतिवादी संख्या 2 लल्लू से दुर्भीसंधि कर दावा पेश किया है, इस प्रकार तनकी नम्बर 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

इस प्रकार तनकी नम्बर 1 से 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किये जाने व प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार दावा वादिया साबित नही कर पाने

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

से दावा वादिया तनकीवार निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में होने से दावा वादी खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादिया खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
24-Feb-20

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.18 16:28:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: